

फर्द अहकाम

- न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट बस्सी, जयपुर

न्यायालय

सुर्त उर्फ दुर्गाप्रसाद
संख्या 16/21

बनाम

प्रतिवादीगण
भगवान सहाय

अन्तर्गत धारा 188 आर. टी. एक्ट

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
23.07.2021	<p>वादी की ओर से अधिवक्ता श्री गिराज प्रसाद प्रजापत द्वारा विरुद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत 188 आर. टी. एक्ट पेश किया गया। वादी का वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण के जरिये नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 02/09/2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>Nam</i> उपखण्ड मजिस्ट्रेट बस्सी, जयपुर</p> <p>पत्रावली कार्य में कार्यवाही पत्रावली को पेश</p> <p style="text-align: center;"><i>पुनर्वक्त</i> क कारण जा सकी 25/10/21</p>	
25/10/21	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 25/10/21 को पेश हो।</p>	
29/10/21	<p>पत्रावली आज प्रशासन गति के संग अस्थितान 2021 के माह के मध्य एडवर्ड में पेश हुई। वादीगण एवं प्रतिवादीगण उपस्थित। उनका पहचान स्थान पर ग्राम पंचायत एडवर्ड के द्वारा कि गई। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की वाद पत्र पर सुना गया एवं वादपत्र एवं वादपत्र पर मौजूद दास्तवियों का सावधानी पूर्वक अवलोकन किया गया। उनका उपपक्षों के द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र वाचता वाद अस्त आशानी अनुसार नं० 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, व 12/239 ग्राम कोर्ड महसूल बस्सी जिला जयपुर के सर्वेक्षक मेहनत अक्षय का सहमति फा दिया है। उक्त वाद अस्त नुस्खे सिमाशान होने पर वादीगण की सहमति प्रतिवादीगण की सहमति अस्त होने से वादीगण वादीगण की सहमति एवं प्रतिवादीगण की सहमति वादीगण की सहमति</p> <p style="text-align: right;">श. म. र. 21</p>	

उप खण्ड अधिकारी
बस्सी (जिला-जयपुर)

निकलती है तो उसे परिवर्धित हो जाने हेतु संभवतः है
 उपरोक्त विवेचन के आधार पर बाकी का बाय सहस्र
 पत्र के आधार पर लीका जाता है एवं गहरीलवा
 वस्ती को अर्धशत किया जाता है कि बाय द्वारा आबाजी
 संसरा नम्बर 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, व 12/239,
 आम बार्ड, पटवार हलका नागल जोहरा मू. अ. नि. क्षेत्र
 टहटा क्षेत्र बाय द्वारा आबाजी का दो गिरावर व
 चार पटवारीमान की संयुक्त रिम गठित कर सिमा
 शान कराने। सीमाशान के पत्रचात यदि वादीगण की मूमि
 में परिवर्धित की मूमि निकलती है तो वादीगण उक्त
 मूमि को हीने हेतु पावन्ध होंगे। और यदि परिवर्धित
 की मूमि में वादीगण की मूमि निकलती है तो परिवर्धित
 उक्त मूमि को हीने हेतु पावन्ध होंगे। जब तक गहरीलवा
 वस्ती के द्वारा सीमाशान की कार्यवाही नहीं की जाती है तब
 तक उक्त मूमि को हीने वाद द्वारा आबाजी की मूमि को प्रभावित
 करना संभव हेतु पावन्ध होंगे।


उक्तानुसार पालना हेतु

खैराना मीना
 खेलन्ता मीना
 * सरपंच *
 ग्राम पंचायत टहटा
 पं० सं० बस्ती (जयपुर)

गहरीलवा वस्ती की मूमि जाती किजकि गहरीलवा वस्ती
 को अर्धशत की पालना 30 दिवस में करवाना सुनिश्चित
 करा।

पत्रावली केसल श्रावण वक्र वक्र नम्बर से काम होने
 पर वा रिल कजाएगा।

निर्णय आज दिनांक 27/10/2021 को प्रशासन
 गाँव के क्षेत्र उमिषाण 2021 के गहरीलवा
 टहटा एवं मूमि आम में सुनाया गया।


 उप खण्ड अधिकारी
 बस्ती (जिला-जयपुर)

432
 27/10/21
 गहरीलवा वस्ती
 को गहरीलवा